

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख  
हुक्म

प्रकरण सं - 4/2024, निगरानी सौदा/सुरपंच ग्राम- देवड़ावास नि.डि-30/5/2024

24/5/2024

अभिभाषक निगरानीकर्ता उ.प.। अभिभाषक द्वारा तत्ववान नौटिस आज भी पेश नहीं किए हैं। आवश्यक् रूप से तत्ववान नौटिस पेश करने की हेदायत दी गई। फावती वास्तु पेश करने तत्ववान नौटिस दि. 30/5/2024 को पेश हों।

बतिरिफत जिला कलेक्टर  
दोंब

30/5/2024

अभिभाषक निगरानीकर्ता उ.प.। अभिभाषक को विपक्षीगत के तत्ववान नौटिस पेश करने हेतु वर्ष 2021 से कई अवसर दिए जा चुके हैं परन्तु अभिभाषक ने तत्ववान नौटिस पेश नहीं किए हैं। अतः प्रकरण तत्ववान नौटिस पेश करने के अभाव में भांडेबा 9 अक्ट-5 अंतर्गत धारा 29.1. खारिज किया जाता है। प्र. फ. सुरपंच भी खारिज किया जाता है। फावती केसत शुमार बीकर वाड तकमील जाता दाखिल इफतर की जावे।

बतिरिफत जिला कलेक्टर  
दोंब